



कार्यावाही विवरण

जयपुर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 22वीं बैठक दिनांक 02.08.2023 को अपराह्न 01:00 बजे डॉ. श्री जोगाराम, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. श्री नलिनी कठोटिया, सचिव, जविप्रा | - | सदस्य |
| 2. श्री वी.के दलेला, निदेशक (नगर आयोजना) | - | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) | - | सदस्य सचिव |
| 4. श्री रामरतन शर्मा, उपायुक्त, जोन-5 | - | सदस्य |
| 5. श्री मेघराज मीणा, उपायुक्त, जोन-9 | - | सदस्य |
| 6. श्री राधेश्याम मीणा, उपायुक्त, जोन-11 | - | सदस्य |

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1. श्री ललित भण्डारी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान)
2. श्री मुकेश, उप नगर नियोजक-I (मा.प्लान)
3. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, जोन-9
4. श्री उदयसिंह वर्मा, उप नगर नियोजक-III (मा.प्लान)
5. वास्तुविद/अरबन प्लानर, जोन-5
6. वास्तुविद/अरबन प्लानर, जोन-11

एजेण्डा संख्या-1 (22/02.08.2023) जोन-5

विषय :- लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शांति नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या-142, 143, 144 व 145 क्षेत्रफल 1604.44 व.ग. (1341.51 व.मी.) का आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने बावत।

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण की स्थिति
1.	आवेदक का नाम	श्री मनोहर सिंह हाडा पुत्र स्व. श्री हरिसिंह हाडा, श्रीमती कनुप्रिया हाडा पत्नी श्री विक्रम सिंह शेखावत, श्री जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र श्री मनोहर सिंह हाडा व श्रीमती लोकेश कुमारी हाडा पत्नी श्री अजय सिंह शेखावत
2.	आवेदित भूमि/ भूखण्ड का विवरण।	लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शांति नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या-142, 143, 144 व 145 क्षेत्रफल 1604.44 व.ग. (1341.51 व.मी.)
3.	(i) जारी पट्टा विलेख (ii) भूखण्ड का भू-उपयोग (iii) भूखण्ड का माप	दिनांक 14.11.2022 को फी-होल्ड पट्टा जारी आवासीय 160'-0" X 90'-0"
4.	मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार भू-उपयोग।	आवासीय
5.	मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग एवं सड़क की चौड़ाई	आवासीय
6.	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग।	वाणिज्यिक (पर्यटन ईकाई होटल)
7.	आवेदित भूमि/भूखण्ड के सामने स्थित सड़कों का मौका अनुसार चौड़ाई	60 फीट
8.	भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन व प्रशासनिक राशि जमा है अथवा नहीं?	हाँ



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

9.	पुनर्ग्रहण शुल्क लागू है अथवा नहीं ?	हाँ
10.	जोन द्वारा आपत्ति/ सुझाव हेतु प्रकाशित विज्ञापित (1) विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक (2) दोनों समाचार पत्र राज्य स्तरीय है अथवा नहीं?	जोन रिपोर्ट अनुसार दिनांक 25.05.2023 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक प्रातःकाल व फर्स्ट इण्डिया में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। चैक लिस्ट 'अ' के क्रम सं. 16 अनुसार प्रकरण में जोन कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 में आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण के संबंध में प्रावधान	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-1 अनुसार राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की भूमि/योजना एवं कृषि भूमि पर प्रस्तावित/आशायित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
12.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के अनुसार प्रकरण के अनुमोदन का स्तर	राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
13.	प्रश्नगत भूखण्ड/भूमि की मौका स्थिति व आस-पास स्थित गतिविधियों के संबंध में जोन की रिपोर्ट	जोन-7 के कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं चारदिवारी निर्मित है।
14.	जोन की अभिशंभा	आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-03 के अनुसार आवासीय दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय है। प्रार्थी द्वारा लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शांति नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या-142, 143, 144 व 145 क्षेत्रफल 1604.44 वर्ग. (1341.51 वर्गमी.) का आवासीय से पर्यटन ईकाई (होटल) भू-उपयोग चाहा गया है। जयपुर नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 के बिन्दु संख्या-10.2.6 पर अंकित प्रावधानुसार बड़े शहरों में पर्यटन ईकाई भवन न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही अनुज्ञेय किये जाने का उल्लेख है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 12.04.2018 एवं 19.01.2020 के अनुसार पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित पर्यटन ईकाईयों में भू-उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। आवेदित भूमि की समाचार पत्र में विज्ञापित भी प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(प) अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को जेडीए लेवल लैण्डयूज चेन्ज समिति के समक्ष रखे जाने की अभिशंभा की जाती है।
15.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित व अन्य तथ्यात्मक बिन्दु	1. मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-03 अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग आवासीय तथा जोनल प्लान की किसी भी प्रस्तावित सड़क से प्रभावित नहीं है। 2. दिनांक 25.05.2023 को आमंत्रित आपत्ति/सुझाव में कोई आपत्ति जोन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। 3. जोन के कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं चारदिवारी निर्मित है। 4. आवेदित भूखण्ड 60 फीट सड़क पर स्थित है, जो भवन विनियम के बिन्दु संख्या-10.2.6 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। 5. प्रार्थी को उक्त भूमि के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 14.02.

4



		<p>2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।</p> <p>6. भू-उपयोग परिवर्तन के क्रम में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2018 एवं 09.01.2020 के अनुसार होटल पर्यटन इकाई को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत माना गया है।</p> <p>7. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(प) अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।</p>
16.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित विचारणीय बिन्दु एवं अभिशंषा	<p>1. मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-3 अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है।</p> <p>अतः अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 व आदेश दिनांक 23.05.2018 के क्रम में प्रकरण जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार क्रम संख्या-15 पर अंकित तथ्यात्मक बिन्दुओं के क्रम में विचारार्थ व निर्णयार्थ रखे जाने हेतु प्रारूप एजेण्डा नोट अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।</p>

समिति द्वारा नोट किये गये तथ्य एवं निर्णय :-

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शांति नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या-142, 143, 144 व 145 क्षेत्रफल 1604.44 व.ग. (1341.51 व.मी.) है जो योजना की 18 मीटर सड़क पर स्थित है, जो मास्टर/जोनल विकास योजना की सड़क नहीं है। मौके पर भूखण्ड रिक्त है एवं चार दिवारी निर्मित है। मास्टर विकास योजना-2020 एवं जोनल विकास योजना-03 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार भी आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। प्रार्थी को उक्त भूमि के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 14.02.2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त आवेदन के क्रम में जोन द्वारा आवासीय से पर्यटन इकाई (होटल) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दिनांक 25.05.2023 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये प्रकरण में जोन-5 कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

जयपुर नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या-10.2.9 पर अंकित प्रावधानुसार बड़े शहरों में पर्यटन इकाई भवन न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही अनुज्ञेय किये जाने का उल्लेख है।

पर्यटन इकाई (होटल) के प्रकरणों को नविवि के आदेश दिनांक 12.04.2018 के क्रम में जनहित की श्रेणी में माना गया है। जनहित से संबंधित प्रकरणों से भू-उपयोग प्रकरणों की सक्षमता नविवि के आदेश दिनांक 20.07.2017 के द्वारा राज्य सरकार में निहित है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में नविवि की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(ii)(ii) के क्रम में लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की शांति नगर योजना की 60'-0" सड़क पर स्थित के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या-142, 143, 144 व 145 क्षेत्रफल 1604.44 व.ग. (1341.51 व.मी.) पर पर्यटन इकाई (होटल) प्रस्तावित होने से तथा पर्यटन इकाई को नविवि के आदेश दिनांक 12.04.2018 द्वारा जनहित की श्रेणी में रखे जाने से आवासीय भू-उपयोग से पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण की अभिशंषा की जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-2 (22/02.08.2023) जोन-11

विषय :- जयपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 2011 मि.(नवीन नं. 2848/2011) रकबा 1.3940 हैक्ट.ख.नं. 207E रकबा 2.05 हैक्ट, ख.नं. 2077/2623 रकबा 0.86 हैक्ट, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्ट. राजस्व ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर ख.नं. 661 रकबा 4.53 हैक्ट, ख.नं. 660 रकबा 0.09 हैक्ट, ख.नं. 694 रकबा 2.71 हैक्ट, ख.नं. 695 रकबा 0.17 हैक्ट, ख.नं. 696 रकबा 0.45 हैक्ट, ख.नं. 699 रकबा 0.20 हैक्ट, ख.नं. 700 रकबा 0.19 हैक्ट, किता



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

7 रकबा 8.34 हैक्ट इस प्रकार दोनो ग्राम के कुल किता 10 कुल रकबा 12.6440 हैक्टयर (1,26,440 वर्गमीटर) का मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-16 में कमीटमेंट के रूप में दर्शित संस्थानिक उपयोग से आवासीय प्रयोजनार्थ (जी-1 व रिक्रियशनल के अन्तर्गत आने वाली भूमि को यथावत रखते हुए) भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।

क्र. स.	विवरण	प्रकरण की स्थिति
1.	आवेदक का नाम	कं.जो.के वन्चर्स जरिये पार्टनर श्रीमती अनिला कोठारी पत्नी श्री नवरतन कोठारी
2.	आवेदित भूमि/ भूखण्ड का विवरण।	जयपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 2011 मि.(नवीन नं. 2948/2011) रकबा 1.3040 हैक्ट.ख.नं. 2076 रकबा 2.05 हैक्ट, ख.नं. 2077/2623 रकबा 0.86 हैक्ट, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्ट. राजरव ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर ख.नं. 661 रकबा 4.53 हैक्ट, ख.नं. 660 रकबा 0.09 हैक्ट, ख.नं. 694 रकबा 2.71 हैक्ट, ख.नं. 695 रकबा 0.17 हैक्ट, ख.नं. 696 रकबा 0.45 हैक्ट, ख.नं. 699 रकबा 0.20 हैक्ट, ख.नं. 700 रकबा 0.19 हैक्ट, किता 7 रकबा 8.34 हैक्ट इस प्रकार दोनो ग्राम के कुल किता 10 कुल रकबा 12.6440 हैक्टयर (126440 वर्गमीटर)
3.	(i) जारी पट्टा विलेख (ii) भूखण्ड का भू-उपयोग (iii) भूखण्ड का माप	दिनांक 07.02.2011 को संस्थानिक लीजडीड जारी संस्थानिक 1,26,440 व.मी.
4.	मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार भू-उपयोग।	ग्रामीण(P.ural)
5.	मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग एवं सड़क की चौड़ाई	मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-16 अनुसार आवासीय, पब्लिक सेमी-पब्लिक, जी-1, रिक्रियशनल एवं औद्योगिक दर्शित है।
6.	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग।	संस्थानिक उपयोग से आवासीय
7.	आवेदित भूमि/भूखण्ड के सामने स्थित सड़कों का मौका अनुसार चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
8.	भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन व प्रशासनिक राशि जमा है अथवा नहीं?	हाँ
9.	पुनर्ग्रहण शुल्क लागू है अथवा नहीं ?	हाँ
10.	जोन द्वारा आपत्ति/ सुझाव हेतु प्रकाशित विज्ञापित (1) विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक (2) दोनों समाचार पत्र राज्य स्तरीय है अथवा नहीं?	जोन रिपोर्ट अनुसार दिनांक 06.07.2023 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर व दैनिक लोकमत में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जोन के पैरा 30/एन अनुसार प्रकरण में जोन कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 में आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण के संबध में प्रावधान	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-1 अनुसार राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की भूमि/योजना एवं कृषि भूमि पर प्रस्तावित/आशायेत भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डेवलपमेंट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
12.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के अनुसार प्रकरण के अनुमोदन का स्तर	राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति

4



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

13.	प्रश्नगत भूखण्ड/भूमि की मौका स्थिति व आस-पास स्थित गतिविधियों के संबंध में जोन की रिपोर्ट	जोन-11 के कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं Compound wall निर्मित है।
14.	जोन की अभिशंषा	<p>आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-16 के अनुसार आवासीय, पब्लिक सेमी-पब्लिक, जी-1, रिक्रियेशनल एवं औद्योगिक दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण है। प्रार्थी जयपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 2011 मि.(नवीन नं. 2848/2011) रकबा 1.3940 हैक्ट.ख.नं. 2076 रकबा 2.05 हैक्ट, ख.नं. 2077/2623 रकबा 0.86 हैक्ट, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्ट. राजस्व ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर ख.नं. 661 रकबा 4.53 हैक्ट, ख.नं. 660 रकबा 0.09 हैक्ट, ख.नं. 694 रकबा 2.71 हैक्ट, ख.नं. 695 रकबा 0.17 हैक्ट, ख.नं. 696 रकबा 0.45 हैक्ट, ख.नं. 699 रकबा 0.20 हैक्ट, ख.नं. 700 रकबा 0.19 हैक्ट, किता 7 रकबा 8.34 हैक्ट इस प्रकार दोनो ग्राम के कुल किता 10 कुल रकबा 12.6440 हैक्टर (1,26,440 वर्गमीटर) का संस्थानिक से आवासीय भू-उपयोग चाहा गया है। आवेदित भूमि की समाचार पत्र में विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें जोन कार्यालय में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>अतः इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(i) अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को जेडीए लेवल लेण्डयूज चेन्ज समिति के समक्ष रखे जाने की अभिशंषा की जाती है।</p>
15.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित व अन्य तथ्यात्मक बिन्दु	<ol style="list-style-type: none">1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-16 के अनुसार आवासीय, पब्लिक सेमी-पब्लिक, जी-1, रिक्रियेशनल एवं औद्योगिक दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण है।2. मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-16 में प्रश्नगत प्रकरण को संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आकृति (जैसा कि पट्टा विलेख के साथ जारी साईट प्लान में दर्शित हैं) को कमिटमेंट के रूप में अंकित किया गया है, परन्तु उक्त भूमि की लोकेशन (डीजीपीएस सर्वे अनुसार) वर्तमान में भिन्न है। अर्थात् प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025, जोनल विकास योजना-16 तथा कमिटमेंट के अनुसार संस्थानिक ही है तथा इससे लगता हुआ अधिकांश भाग मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-2011 में आवासीय रूप में अंकित है एवं शेष भाग जी-1, रिक्रियेशनल (आंशिक) एवं औद्योगिक रूप में दर्शित है।3. जोन के कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं Compound wall निर्मित है।4. दिनांक 06.07.2023 को आमंत्रित आपत्ति/सुझाव में कोई आपत्ति जोन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।5. प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में ग्रामीण था, जिसके लिये प्रार्थी द्वारा संस्थानिक भू-उपयोग उपान्तरण हेतु आवेदन करने पर उक्त भूमि का भू-उपयोग संस्थानिक किये जाने की अधिसूचना जविप्रा अधिनियम-1982 की धारा 25(1) के तहत दिनांक 18.10.2010 को जारी की गई। तत्पश्चात प्रार्थी को संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीजडीड दिनांक 07.02.2011 को जारी किया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 18.10.2010 में यह भी उल्लेख किया गया है कि:-<ul style="list-style-type: none">• भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि में परिवर्तित उपयोग



		<p>(संस्थानिक) अनुसार कम से कम 25 प्रतिशत विकास/निर्माण कार्य पूरा किया जाना आवश्यक होगा।</p> <ul style="list-style-type: none">उक्त उपान्तरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण में संबंधी विचाराधीन रिट पिटिशन सं. 1554/2004 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। <p>6. रा. स्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017 के क्रम में नगरीय विकास विभाग दिनांक 20.07.2017 (अधोरखित) को जारी आदेश के द्वारा Larger Public Intrest में भू-उपयोग परिवर्तन अनुमत होने से भू-उपयोग परिवर्तन हेतु Larger Public Interest के अन्तर्गत आने वाले उपयोगों को आदेश में चिन्हित किया गया है। प्रकरण में संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन का जनहित (Larger Public Intrest) की श्रेणी में नहीं रखा गया है।</p> <p>Above directions are Liable to subjudice decision of pending SLP in the Supreme Court and review petition in Hon'ble Court.</p> <p>7. परन्तु, उक्त कमिटमेंट के रूप में अंकित संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग उपान्तरण हेतु आवेदन किया है, जो उपरोक्तानुसार मास्टर विकास योजना/ जोनल विकास योजना में अनुमत भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु सं. 12.2 के अनुसार अनुमत भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग में लिये जा रहे भूमि व भवन के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में गुणावगुण के आधार पर यदि संबंधित नगरीय निकाय इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा नियमन किये जाने से कोई सारभूत प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो ऐसी भूमि एवं भवन के भू-उपयोग का इन नियमों के प्रावधानों के अधीन नियमन/परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ही इसे संस्थागत भू-उपयोग हेतु उपान्तरण करवाया गया था एवं इससे लगता हुआ अधिकांश क्षेत्र आवासीय है।</p> <p>8. उल्लेखनीय है कि आवेदित भूमि का दिनांक 07.02.2011 को संस्थानिक लोजडीड जारी की गई है। उक्त भूमि जोनल विकास योजना-16 की 30 मीटर सड़क से प्रभावित है, जिसे जारी पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। उक्त के क्रम में बीपीसी (एल.पी.) की 331वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में रखकर निर्णय माननीय अध्यक्ष एवं मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग के स्तर पर विचाराधीन है (संलग्न पृ.सं. 37-38/सी)</p> <p>9. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(प) अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/योजना से भिन्न होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।</p>
16.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित विचारणीय बिन्दु एवं अभिशंषा	<p>1. मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-16 अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग आवासीय, पब्लिक सेमी-पब्लिक, जी-1, रिक्रियेशनल एवं औद्योगिकदर्शित है।</p> <p>अतः अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 व आदेश दिनांक 23.05.2018 के क्रम में प्रकरण जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार क्रम संख्या-15 पर अंकित तथ्यात्मक बिन्दुओं के क्रम में विचारार्थ व निर्णयार्थ रखे जाने हेतु प्रारूप एजेण्डा नोट अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।</p>

समितिद्वारा नोट किये गये तथ्य एवं निर्णय :-

- समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन भूखण्डों का मास्टर विकास योजना-2011 में दर्शित ग्रामीण भू-उपयोग से संस्थानिक उपयोग हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 144वीं बैठक दिनांक 30.10.2009 में रखा जाकर भू-उपयोग उपान्तरण करने का निर्णय



लिया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.10(163)नवि/3/2009 दिनांक 19.08.2010 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त उपान्तरण की अधिसूचना दिनांक 18.10.2010 को जारी की जाकर विचाराधीन भूमि का दिनांक 07.02.2011 को संस्थानिक लीजडीड जारी की गई है।

- मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-16 में प्रश्नगत प्रकरण को संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आकृति (जैसा कि पट्टा विलेख के साथ जारी साईट प्लान में दर्शित है) को कमिटमेंट के रूप में अंकित किया गया है, परन्तु उक्त भूमि की लोकेशन (डीजीपीएस सर्वे अनुसार) वर्तमान में आंशिक रूप से भिन्न है अर्थात् प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025, जोनल विकास योजना-16 तथा कमिटमेंट के अनुसार संस्थानिक ही है।
- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017 के क्रम में नगरीय विकास विभाग दिनांक 20.07.2017 (अधोरखित) को जारी आदेश के द्वारा Larger Public Interest में भू-उपयोग परिवर्तन अनुमत होने से भू-उपयोग परिवर्तन हेतु Larger Public Interest के अन्तर्गत आने वाले उपयोगो को आदेश में चिह्नित किया गया है। प्रकरण में संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन का जनहित (Larger Public Interest) की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
- मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं Compound wall निर्मित है।

अतः समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में नवि/3 की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियों)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(ii)(ii)के क्रम में राजस्व ग्राम ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 2011 मि. (नवीन नं. 2848/2011) रकबा 1.2940 हैक्ट.ख.नं. 2076 रकबा 2.05 हैक्ट, ख.नं. 2077/2623 रकबा 0.86 हैक्ट, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्ट. राजस्व ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर ख.नं. 681 रकबा 4.53 हैक्ट, ख. नं. 680 रकबा 0.09 हैक्ट, ख.नं. 694 रकबा 2.71 हैक्ट, ख.नं. 695 रकबा 0.17 हैक्ट, ख.नं. 696 रकबा 0.45 हैक्ट, ख.नं. 699 रकबा 0.20 हैक्ट, ख.नं. 700 रकबा 0.19 हैक्ट, किता 7 रकबा 8.34 हैक्ट इस प्रकार दोनो ग्राम के कुल किता 10 कुल रकबा 12.6440 हैक्टर (1,26,440 वर्गमीटर) का संस्थानिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण जनहित की श्रेणी में नहीं हों एवं विचाराधीन भूमि के आस-पास प्रभावी मास्टर विकास योजना-2025 में आवासीय भू-उपयोग दर्शित हों से भू-उपयोग परिवर्तन बाबत समस्त तथ्यों सहित गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-3 (22/02.08.2023) जोन-9

विषय :-ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर के संस्थानिक एकल पट्टा खसरा नं. 167, 168 क्षेत्रफल 4129.97 वर्गगज (3454.43 व.मी.) का संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन बाबत।

क्र.स.	विवरण	प्रकरण की स्थिति
1.	आवेदक का नाम	नमन बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक धमेन्द्र मेहता एवं अनिकेत हरकावत
2.	आवेदित भूमि/ भूखण्ड का विवरण।	ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर के संस्थानिक एकल पट्टा खसरा नं. 167, 168 क्षेत्रफल 4129.97 वर्गगज
3.	(i) जारी पट्टा विलेख (ii) भूखण्ड का भू-उपयोग (iii) भूखण्ड का माप	दिनांक 30.08.2008 को संस्थानिक लीजडीड जारी संस्थानिक 4129.97 व.ग. (3454.43 व.मी.)
4.	मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार भू-उपयोग।	संस्थानिक
5.	मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग एवं सड़क की चौड़ाई	मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-02 अनुसार आवासीय दर्शित है।
6.	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग।	संस्थानिक उपयोग से आवासीय भू-उपयोग।

1



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


Azadi Ka
Amrit Mahotsav

7.	आवेदित भूमि/भूखण्ड के सामने स्थित सड़कों का मौका अनुसार चौड़ाई	जोन की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि 60 फीट चौड़ी सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध है।
8.	भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन व प्रशासनिक राशि जमा है अथवा नहीं?	पत्रावली में आवेदन पत्र पृष्ठ संख्या 170/सी पर संलग्न है। राशि जमा करवाने की सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
9.	पुनर्ग्रहण शुल्क लागू है अथवा नहीं ?	हाँ
10.	जोन द्वारा आपत्ति/ सुझाव हेतु प्रकाशित विज्ञापित (1) विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक (2) दोनों समाचार पत्र राज्य स्तरीय है अथवा नहीं?	जोन रिपोर्ट अनुसार दिनांक 08.06.2023 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र जलते दीप व समाचार जगत में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जोन के पैरा 168/एन अनुसार प्रकरण में जोन कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 में आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के पकरण के संबंध में प्रावधान	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम 6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियाँ)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-ii अनुसार राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की भूमि/योजना एवं कृषि भूमि पर प्रस्तावित/आशयित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/तकनीकी मानदण्ड/ योजना से अनुरूप होने पर प्रकरण स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
12.	अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के अनुसार प्रकरण के अनुमोदन का स्तर	स्थानीय स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
13.	प्रश्नगत भूखण्ड/भूमि की मौका स्थिति व आस-पास स्थित गतिविधियों के संबंध में जोन की रिपोर्ट	कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त है एवं भूखण्ड की नापे जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार है।
14.	जोन की अभिशंभा	आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-02 अनुसार आवासीय दर्शित है। मास्टर विकास योजना-2011 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग संस्थानिक दर्शित है। प्रार्थी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सागानेर के संस्थानिक एकल पट्टा खसरा नं. 167, 168 क्षेत्रफल 4129.97 वर्गगज का संस्थानिक से आवासीय भू-उपयोग चाहता माना है। आवेदित भूमि की समाचार पत्र में विज्ञापित भी प्रकाशित की जा चुकी है, जिराने जोन कार्यालय में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जोन द्वारा आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जविप्रा के आदेश दिनांक 01.03.2023 (पू.सं. 83/सी) के क्रम में अनुमोदन हेतु श्रीमान सचिव महोदय के माध्यम से श्रीमान आयुक्त महोदय को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
15.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित व अन्य तथ्यात्मक बिन्दु	<ol style="list-style-type: none">1. प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2011 में संस्थानिक था। प्रार्थी को संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीजडीड दिनांक 30.08.2008 को जारी की गई। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-02 के अनुसार आवासीय अंकित है।2. जोनल विकास योजना-2 पर अंकित नोट के बिन्दु संख्या-3 अनुसार जविप्रा के जोन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाये गये कमिटमेंट्स को जोनल विकास योजना में अंकित कर दिया गया है, यदि कोई कमिटमेंट्स न्युटिवश अंकित होने से रह गये हैं, तो उनको Honour करते हुए अपेक्षित कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है।3. कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड मौके पर रिक्त है एवं भूखण्ड की नापे जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार है।4. दिनांक 08.06.2023 को संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग उपांतरण हेतु आमंत्रित आपत्ति/सुझाव के क्रम में कोई आपत्ति जोन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।5. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या-5 (नियम



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

		6 का प्रतिस्थापन) "6 (समितियों की शक्तियों)" (1) की तालिका के बिन्दु संख्या-2(ii) एवं आदेश दिनांक 15.06.2023 अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड का अनुमत उपयोग से प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/योजना के अनुरूप होने पर प्रकरण स्थानीय स्तर पर निर्णित किये जाने का प्रावधान है।
16.	मास्टर प्लान शाखा से संबंधित विचारणीय बिन्दु एवं अभिशंका	<ol style="list-style-type: none">1. मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-02 अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है।2. वर्तमान में प्रार्थी ने संस्थानिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग उपान्तरण हेतु आवेदन किया है।3. पट्टाशुदा संस्थागत भूखण्ड का संस्थागत से आवासीय प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जाना है। <p>अतः निर्देशानुसार अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 व आदेश दिनांक 23.05.2018, 15.06.2023 के क्रम में प्रकरण जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार क्रम संख्या-15 पर अंकित तथ्यात्मक बिन्दुओं के क्रम में विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति द्वारा नोट किये गये तथ्य एवं निर्णय :-

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अदलोकन किया गया। ग्राम श्रीकेशनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 167, 168 क्षेत्रफल 4129.97 वर्गगज का जविप्रा द्वारा मास्टर विकास योजना-2011 में संस्थानिक भू-उपयोग के आधार पर संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीजडीड पट्टा विलेख क्रमांक डी-4452 दिनांक 30.08.2008 को जारी किया गया है। मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-02 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है।

यह भी तथ्य नोट किया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.17(1)नविप्रा/अभियान/2021 दिनांक 20.02.2023 के बिन्दु सं. 2.3 (पट्टाशुदा भूखण्ड का मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप भू-उपयोग परिवर्तन करना)के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम 2(i) के स्पष्टीकरण (iv) के अनुसार मास्टर प्लान के भू-उपयोग के अनुरूप पट्टाशुदा भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित है, तो भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया (राय एवं समिति की बैठक आदि) की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं भू-उपयोग प्रकरणों के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2023, 13.04.2023 एवं 15.06.2023 के क्रम में उपरोक्तानुसार उल्लेखित तथ्यों पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व में संस्थागत प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी होने के दृष्टिगत संस्थागत से मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-02 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय दर्शित होने के कारण समिति की राय में आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है। किन्तु मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना लागू होने से पूर्व संस्थागत प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी होने के दृष्टिगत प्रकरण को समिति की अनुशंका सहित निर्णय हेतु राज्य स्तरीय समिति को भिजवाया जाना उचित होगा।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

12/08/23
अति.मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान)
एवं सदस्य सचिव,
जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक: जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2023/डी-426

दिनांक 23-8-23

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (पिधि), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त (प्रशासन/पी.आर.एन/भूमि/एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
7. अति. मुख्य/वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी (एल.पी)/बीपी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-पी.आर.एन (दक्षिण-II), जविप्रा, जयपुर।
11. उप निदेशक जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


उप नगर नियोजक (मा.प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।